उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–10
संख्याः 338671/ xxvii(10)2025–1(11)/2024/E-40215
देहरादूनः दिनांक 16, अक्टूबर, 2025

शुद्धि–पत्र

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–338070/ xxvii(10)2025–1(11)/2024/E-40215/2025, दिनांक 15.10.2025 के प्रस्तर–2 के मुख्य भाग में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त के स्थान पर निम्नवत् प्राविधान/आदेश प्रतिस्थापित किये जाते हैं एवं इसे तद्नुसार पढ़ा एवं समझा जायेः–

राज्य सरकार, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों और समूह 'ख' के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनका ग्रेड वेतन रू0 4800/–{पुनरीक्षित वेतनमान 47600–151100 (लेवल–8)} तक है एवं जो उत्पादकता से सम्बद्ध किसी बोनस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2 – उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–338070/xxvii(10)2025–1(11)/2024/E-40215/2025, दिनांक 15.10.2025 में जिन स्थानों पर "गैर–उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस)" वर्णित किया गया है, के स्थान पर उसे "उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस)" पढ़ा जाये।

3– उपरोक्त वर्णित शासनादेश संख्या–338070/2025 दिनांक 15.10.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा इस शासनादेश के शेष प्राविधान/शर्ते/प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगे।

Digitally signed by Vadivel Shanmugam
Date: 16-10-2025 15:28:59

भवदीय,
(डॉ0वी0 षणमुगम)
सचिव

संख्याः 338671 (1)/ xxvii(10)/2025–1(11)/2024/ E-40215 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों

एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्कता नहीं होगी।

5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
11. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
12. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Dr Ahmed Iqbal
Date: 16-10-2025
15:46:20

आज्ञा से,

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव